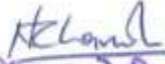


कार्य का नाम : उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी पो पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन ना होने का प्रमाण पत्र

परियोजना के अन्तर्गत पर्यटको की सुविधा एवं ऐतिहासिक धरोहर का जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है जो पहले से निर्मित है पर्यटको की सुविधा, सुरक्षा और पर्यावरण के मानको को ध्यान में रखते हुये निर्माण किया जाना है। परियोजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रजाति का पातन नहीं होना है। उक्त कार्य वन संरक्षा अधिनियम को ध्यान में रख कर वन विभाग की सहमति से किया जायेगा। एवं वन संरक्षा अधिनियम का, उल्लंघन नहीं होगा।


नरेश चमोली
वन संरक्षण विशेषज्ञ
पी०एम०यू०, देहरादून


ह० /
प्रभोक्ता, माने की
Addl. Program Director
I.D.I.P.T.
Uttarakhand